

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 91/2021
जी.सी.एम.एस.नं. 2021/1361

दायर दिनांक-11-11-2021

विजय क्याल पुत्र स्वर्गीय श्रीलाल पौत्र केदारनाथ क्याल जाति महाजन (क्याल) निवासी खिरोड
तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

-आवेदक

- :: बनाम ::-

1. भागीरथ पुत्र नानगा जाति मेघवंशी निवासी ग्राम खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
2. महाबीर पुत्र बेगा जाति मेघवंशी निवासी ग्राम खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
3. श्रीचन्द पुत्र जवाहर लाल जाति मेघवंशी निवासी ग्राम खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

आवेदकगण

4. घनश्याम दास पुत्र स्व. मोहनलाल
5. आशीष पुत्र राजकुमार पौत्र मोहनलाल
6. अरुण कुमार पुत्र स्व. सत्यनारायण पौत्र मोहनलाल
7. श्रवण कुमार पुत्र स्व. सत्यनारायण पौत्र मोहनलाल
8. मनीष
9. राहुल पुत्रान स्व. सांवरमल पौत्र अर्जुनलाल
10. मनोज पुत्र गिरधारी लाल पौत्र अर्जुनलाल
11. प्रतीक पुत्र संजय पौत्र अर्जुनलाल
12. अजय पुत्र शंकरलाल पौत्र रघुनाथ प्रसाद
13. निकुंज
14. ध्रुव पुत्रान स्व.संजय पौत्र शंकरलाल पड़ पौत्र रघुनाथ प्रसाद
15. कृष्ण कुमार पुत्र शंकरलाल पौत्र रघुनाथ प्रसाद
16. नन्दकिशोर
17. कमल पुत्रान स्व. रामअवतार
18. कैलाश
19. महेश
20. नरेश पुत्रान स्व. श्यामसुन्दर पौत्र स्व. केदारनाथ
21. पीयूष
22. पुनीत पुत्रान सुरेन्द्र पौत्र स्व. श्रीलाल पड़पौत्र केदारनाथ
23. विनोद पुत्र स्व. श्रीलाल पौत्र केदारनाथ
जाति महाजन क्याल निवासीगण खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान हाल
आबाद कोलकता।

-प्रफोर्मा डिफेन्डेड

वकील आवेदक :- श्री विधाधर सिंह जाखड़
वकील अनावेदकगण :- श्री किशोर कुमार जांगीड़

प्रार्थना पत्र : अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955



-:: आदेश ::-

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है :-
स्वर्गीय केदारनाथ क्याल के छः पुत्र पैदा हुवे थे जिसमें बड़ा-बड़ा ही मोहनलाल है फिर अर्जुनलाल,
रघुनाथ प्रसाद, रामअवतार, श्रीलाल व श्यामसुन्दर पैदा हुवे, अनावेदक नम्बर 4 लगायत 7 स्वर्गीय मोहन

ए. सी. ई. (न. दे.)
नवलगढ़

के उतराधिकारी है, अनावेदक नम्बर 8 लगायत 11 अर्जुनलाल के वारिस है, अनावेदक नम्बर 12 लगायत 15 रघुनाथ प्रसाद के वारिस है, अनावेदक नम्बर 16 लगायत 17 रामवतारन के वारिस है, अनावेदक नम्बर 18 लगायत 20 श्यामसुन्दर के वारिस है, अनावेदक नम्बर 21 लगायत 23 व वादी श्रीलाल के वारिस है। अनावेदकगण सब अपने व्याार के सिलसिले में व स्वास्थ्य के कारण देश में आने में असमर्थ है और यहा गांव खिरोड़ में जो पैतृक सम्पति है उसकी हमेश से ही आवेदक ही देखरेख करता है और सार-संभाल करता है आवेदक अनावेदक नम्बर 4 लगायत 23 द्वारा सार संभाल के लिये अधिकृत है अनावेदक नम्बर 4 लगायत 23 के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाना सम्भव नहीं है वाद/प्रार्थना पत्र अर्जेन्ट नेचर का है अगर कलकता से बुलाकर या कलकता जाकर उनके हस्ताक्षर करवाकर लाये जाते है तो दावा/प्रार्थना पत्र पेश करने की मंशा ही खत्म हो जायेगी, अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 3 वादी के पूर्वजों की सम्पति की दीवार तोड़कर नाजायज प्रवेश कर जायेगे इस आवेदक सहहिस्सेदार होने के कारण से उक्त वाद/प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है अन्य अनावेदकगण भी आवश्यकता अनुसार इकबालिया जवाब सम्भव होगा उनका दिलाया जायेगा। उक्त वाद/प्रार्थना पत्र आवेदक व अनावेदक नम्बर 4 लगायत 23 की सहहिस्सेदारी की सम्पति का है और आवेदक वाद/प्रार्थना पत्र पेश करने के लिये पूर्ण अधिकृत है।

अनावेदक नम्बर 4 लगायत 23 के पूर्वजों की प्रार्थना पत्र में आगे आवेदक में जिसकी किस्म भी आबादी है जो वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शों में ए.एच.जी.एफ.बी.सी.डी.ई. बिन्दुओं से दिखाई गई है। उक्त भूम आबादी की है और इस आबादी की भूमि के दक्षिण-पूर्व करीब कोने के पास एक भूखण्ड एच.जी.एफ.बी. बिन्दुओं का है जिसके खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.0600 हैक्टर दर्ज है उक्त भूमि नानगा व बेगा की थी उसके उतराधिकारी अनावेदक नम्बर 1 व 2 भागीरथ व महावीर है। जिस पर उन्होंने 73-74 साल पूर्व एक बाड़ा बना रखा है। उक्त भूमि आवेदक की आबादी की भूमि के सटकर थी और चार तरफ बाउण्ड्रीवाल बनाने में उक्त खसरा नम्बर अलग करने से बाउण्ड्रीवाल के करीब 4-5 कोने और लग जाते थे और बाउण्ड्रीवाल काफी टेडी-मेडी होने की सम्भवना थी और उक्त भूमि क्रय किये बिना वादी की शेष आबादी की भूमि को सही ढंग से उपयोग-उपभोग करना भूमि क्रय किये बिना वादी की शेष आबादी की भूमि को सही ढंग से उपयोग-उपभोग करना सुविधाजनक नहीं था इस कारण सम्वत् 2004 में आज से करीब 73-74 साल पूर्व उक्त खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.0600 हैक्टर प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पूर्वजों से आवेदक के पूर्वज केदारनाथ ने 90/- रुपये के प्रतिफल में क्रय कर लिया था और क्रय करके उसी साल आवेदकगण की आबादी की भूमि व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 2 के पूर्वजों से खरीदी गई खसरा नम्बर 1362 की भूमि के चारों तरफ बावण्ड्रीवाल बना ली जो बाउण्ड्रीवाल 73-74 साल पुरानी है और 7-8 फीट ऊंची है जो चुने से बनी हुई है। इस प्रकार आवेदकगण की आबादी की भूमि व अनावेदकगण से क्रय की हुई भूमि खरीदने के बाद आवेदक के पूर्वज ने ए.बी.सी.डी.ई. बिन्दुओं की बाउण्ड्रीवाल बनाकर अपने कब्जे में उक्त पूरी भूमि को बाउण्ड्रीवाल से कवर करके ले ली और उसके एक्स स्थान पर मुख्य गेट लगा दिया। इस प्रकार दावे/प्रार्थना पत्र के साथ पेश नक्शा जो दावे का अभिन्न भाग है उसमें दर्शित ए.बी.सी.डी.ई. बिन्दुओं की बाउण्ड्रीवाल के अन्दर आबादी की व क्रय की हुई खातेदारी में दर्ज भूमि वादीगण के हक, अधिकार व कब्जे की है और आवेदकके मालिकाना हक अधिकार की है।

नोट :- संलग्न नक्शे में एच.जी.एफ.बी. बिन्दुओं की भूमि जिनके खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.0600 हैक्टर है की घोषणार्थ का उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है। आवेदक के पुरे भू-भाग के इसी हिस्से का विक्रय-पत्र अनावेदक नम्बर 1 व 2 ने अनावेदक नम्बर 3 के नाम दिनांक 01.02.2021 को विधि विरुद्ध बनाया है जिसे एबिनिसियो वॉर्ड करार दिये जाने और इस रकबे का खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु वाद/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। वादग्रस्त भूमि को प्रश्नगत भू-भाग के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रश्नगत भू-भाग एक छोटा सा टुकड़ा था जो 600 वर्गमीटर का है जिसमें प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 2 व उसके पूर्वज ने बाड़ा बना रखा था और सम्वत् 2004 मे आवेदक के पूर्वज अपनी आबादी की भूमि के बाउण्ड्रीवाल बनाने लगे तो ये टुकड़ा उनके आबादी के हिस्से की भूमि के सटकर था और उक्त हिस्सा क्रय करने पर ही आवेदक का भूखण्ड करीब चौकोर बनता था इस कारण सम्वत् 2004 मे आज से करीब 73-74 साल पूर्व, 90/- रुपये बहुत बड़ी रकम थी अदा करके उक्त रकबा अनावेदक नम्बर 1 लगायत 2 के पूर्वजों से खरीदा था और विक्रय-पत्र तस्दीक करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि भूमि की कीमत 100/- रुपये से कम थी इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी मौके पर कब्जा देकर ही विधि सम्मत विक्रय की जा सकती थी। और अनावेदक नम्बर 1 व 2 के पूर्वजों ने 90/- रुपये के प्रतिफल में पुरा प्रतिफल लेकर उक्त प्रश्नगत भू-भाग आवेदक के पूर्वजों को विक्रय किया था और मौके पर कब्जा दे दिया था और खडे होकर और मोके पर मजदूरी करके

वादी के पूरे भूखण्ड के चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल बना दी थी और वादी के पूर्वजों ने ए.बी.सी.डी.ई. भाग पर चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल बनाकर उक्त रकबा अपने बाउण्ड्रीवाल में शामिल कर लिया था और तब से लेकर आज तक अधिकार के रूप में अपनी आबादी की भूमि के साथ उक्त प्रश्नगत भूखण्ड को भी उपयोग-उपभोग कर रहे हैं उनका विधिक कब्जा है और उनकी बाउण्ड्रीवाल के अन्दर स्थित है भूमि क्रय करके कब्जा ले लिया था बाउण्ड्रीवाल चारों तरफ बना दी गई थी और आवेदक ओर आवेदक के पूर्वज कलकता व्यापार के सिलसिले से हमेशा रहते आये हैं इस कारण राजस्व रिकार्ड में उक्त रकबा वादीगण अपने नाम से दर्ज नहीं करवा सके जैसे चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल बन गई थी कब्जा आवेदक के पास था ही इस कारण गम्भीरता से नाम दर्ज करवाने के प्रयास भी नहीं किये लेकिन काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी हैं।

अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 2 ने करीब 13-14 साल पहले अपने नाम उक्त रकबा खातेदारी में दर्ज होने का ऐलान किया तो आवेदक ने दिनांक 18.11.2007 को गांव के तत्कालीन सरपंच पूर्व सरपंच पूर्व प्रधान व गांव के मौजिज व्यक्तियों की मितिग बुलाई थी जिसमें अनावेदक नम्बर 1 व 2 भी मौजूद थे और उन्होंने जो अपने नाम से खातेदारी होने का ऐलान किया था उसका उन्हें उलाहना दिया तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और यह स्वीकार किया कि उक्त प्रश्नगत भूमि हमारे पूर्वजों की आवेदक के पूर्वज केदारनाथ को विक्रय की हुई है और आज से 55-56 साल पूर्व दिनांक 18.11.2007 वादीगण के पूर्वजों का भूखण्ड के चारों तरफ निर्माण किया हुआ है हमारे पूर्वजों ने पूरा प्रतिफल लेकर उक्त भूमि को विक्रय किया है और क्रेता का ही कब्जा है हमारे व हमारे उतराधिकारियों को कोई हक व अधिकार नहीं है उक्त लिखापढ़ी "ए" मार्क की पेश है, जिस पर अनावेदक नम्बर 1 व 2 के हस्ताक्षर हैं और गांव के 60-70 मौजिज के भी हस्ताक्षर हैं जो अनावेदक नम्बर 1 लगायत 2 की इस प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं होना विक्रय की हुई होना और आवेदकगण के बाउण्ड्रीवाल बनी हुई मानना उनकी अभिस्वीकृति है और उनके विरुद्ध स्टोपल है व अब किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकते। न ही आवेदकगण के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा कर सकते हैं।

अनावेदक नम्बर 1 व 2 ने उक्त लिखा पढ़ी व उनकी स्वीकृति होने का उनको उक्त प्रश्नगत भूमि उनके पूर्वजों द्वारा विक्रय की हुई है तथ्य का पता होने के बाद बदनियति से अनावेदक नम्बर 3 से मिलकर आपस में षडयंत्र रचकर प्रश्नगत भूखण्ड खसरा नम्बर 1362 का विक्रय पत्र अनावेदक नम्बर 1 व 2 ने अनावेदक नम्बर 3 के पक्ष में तस्दीक करवा दिया जो उप-पंजीयक नवलगढ के यहां दिनांक 01.02.2021 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 468 में पृष्ठ संख्या 36 क्रम संख्या 2021103451100163 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1909 के पृष्ठ संख्या 839 से 856 पर चस्पा किया गया है। उक्त विक्रय पत्र एबिनिसियों वॉर्ड है और आवेदक के अधिकारों पर बेअसर है। इसलिए उक्त विक्रय पत्र को एबिनिसियों वॉर्ड करार दिया जावे।

आवेदकगण ने अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 2 के पूर्वजों को सम्वत् 2004 में यानि कि 73-74 साल पूर्व उक्त 600 वर्ग-मीटर भूखण्ड क्रय किया था उस वक्त विधि प्रभाव में नहीं थी कि एस.सी. एस.टी. की भूमि कोई श्रवण जाति का व्यक्ति नहीं ले सकता। इस कारण वादीगण के पूर्वज ने संवत् 2004 में 90/-रूपये के प्रतिफल में उक्त प्रश्नगत भूमि क्रय की थी व विधि अनुसार क्रय करके कब्जा प्राप्त किया था और इस भूमि के आवेदक व अनावेदक नम्बर 4 लगायत 23 खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी हैं।

अनावेदक नम्बर 3 भूमाफिया है और गांव खिरोड़ का ही निवासी है और आवेदक व अनावेदक नम्बर 4 लगायत 23 मुख्यतः कलकता में ही रहते हैं और काफी समाजसेवी व भामाशाह हैं गांव के अन्दर काफी लम्बा चौड़ा आम जनता के लिये जनहितार्थ निर्माण व काम किया है। आवेदकगण मुख्यतः कलकता में रहने के कारण अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 आपस में मिलकर षडयंत्र रचकर आवेदक की बाउण्ड्रीवाल को तोड़ने की कुचेष्टा करेंगे, जिनका उन्हें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आवेदक आवश्यकता अनुसार ही प्रदेश से गांव आता है, इस दौरान वे गन्दी हरकत कर सकते हैं अगर वे अपनी नाजायज मंशा में सफल हो गये तो आवेदक को इतना नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी हालत में संभव नहीं होगी, आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है और दिन की मौके की फोटो भी मौके की स्थिति दर्शित करने के लिये दावे/प्रार्थना-पत्र के साथ पेश है। इसलिये अनावेदकगण नं. 1 लगायत 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा है कि अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 3 को दौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम खिरोड़ की तन में स्थित

प्रश्नगत भूखण्ड खसरा नम्बर 1362 आवेदक के भूखण्ड व नक्शे में ए.बी.सी.डी.ई बिन्दुओं से दिखाया गया है जिसके चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल है और जिसमें प्रश्नगत भूखण्ड एच, जी, एफ, बी भी बाउण्ड्रीवाल के अन्दर शामिल है, के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं पैदा करें, न ही अपने आदमियों से करवाये। आवेदकगण उक्त भूखण्ड शांति से उपयोग उपभोग करने दे, मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री किशोर कुमार जांगिड ने अपना वकालतनामा पेश किया तथा अनावेदकगण संख्या 4 लगायत 23 प्रफोर्मा डिफेन्डेड है जिनकी तलबी किया जाना आवश्यक नहीं है। वादी एवं अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 को अनावेदक संख्या 4 लगायत 23 के अधिकारों के बाबत आपत्ति उठाने को लेकर लोकस स्टेण्डाई नहीं है। अनावेदकगण संख्या 4 लगायत 23 कि विरुद्ध कोई सिद्धि नहीं चाही जाने से तलबी किया जाना आवश्यक नहीं है।

अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दावा पेश किया जाना स्वीकार है, जो झुठा व निराधार पेश किया गया है, आवेदकगण कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत वाद में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत वाद में आवेदकगण को सफलता मिलने की तनिक भी गुंजाईस नहीं है।

स्व0 केदारनाथ क्याल के छः पुत्र पैदा होने उनके वारीसान आवेदक व अनावेदक नम्बर 4 लगायत 23 होने, ग्राम खिरोड़ में उनकी पैत्रिक सम्पत्ति होने, पैत्रिक सम्पत्ति की देखरेख करने अभाव में अस्वीकार है। वाद के अर्जेन्ट नेचर का होने का तथ्य अस्वीकार है। अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 के द्वारा दीवार तोड़कर नाजायज प्रवेश करने का तथ्य बनावटी व मनगढ़न्त है।

आवेदक व अनावेदक नम्बर 4 लगायत 23 की एक सम्पत्ति आबादी में स्थित होना अस्वीकार है। दावे के साथ संलग्न नक्शे में वर्णित भूमि अनावेदक नम्बर 1 व 2 का होना स्वीकार है। दावे के साथ संलग्न नक्शे में वर्णित ए, बी, सी, डी, ई बिन्दुओं की भूमि का कोई हिस्सा आवेदक का अथवा अनावेदकगण नम्बर 4 लगायत 23 अथवा उनके पूर्वजों का नहीं रहा है। बल्कि उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि अनावेदकगण नम्बर 1 व 2 की ही थी। पूर्व में उक्त भूमि उत्तरदाता/अनावेदक नम्बर 1 व 2 के पूर्वजों की थी तथा वर्तमान में अनावेदक नम्बर 1 व 2 की है। संवत् 2004 में खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.06 हैक्टर की भूमि अनावेदक नम्बर 1 व 2 के पूर्वजों से आवेदक के पूर्वज केदारनाथ द्वारा 90/-रुपये के प्रतिफल के बदले में क्रय कर लिया जाने, उसी साल आबादी की भूमि व खसरा नम्बर 1362 की भूमि के चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल 7-8 फिट जंची चूने से बनी हुई होना आदि तथ्य निहायत गलत होने से अस्वीकार है। दावे के साथ संलग्न नक्शा में दर्शित भूमि आवेदक के मालिकाना हक अधिकार व कब्जे की होने का तथ्य अस्वीकार है।

यह कि उक्त मद में 'नोट' लिखकर जो तथ्य किए गए हैं, निराधार है। उक्त 'नोट' में कोई विशेष तथ्य नहीं लिखे हुये हैं। बल्कि प्रार्थना-पत्र के तथ्यों की ही पुनरावृत्ति है। अनावेदक नम्बर 1 व 2 द्वारा अनावेदक नम्बर 3 के नाम तस्दीक करवाए गए विक्रय-पत्र दिनांक 01.02.2021 वोर्ड करा दिए जाने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। विक्रय-पत्र खातेदार काश्तकारो द्वारा विधि सम्मत रूप से अपने हक अधिकारो के तहत तस्दीक करवाया गया है जो एबीनिसियोवोर्ड होने का कोई कारण नहीं हो सकता।

प्रश्नगत भू-भाग अनावेदक नम्बर 1 व 2 के पूर्वजों के बाउण्ड्रीवाल बनाने लगना, उसके सटकर प्रश्नगत भूखण्ड होना, 90/-रुपये अदा करके भूखण्ड खरीदना, विक्रय-पत्र तस्दीक करवाने की आवश्यकता नहीं होना, मौके पर कब्जा दे दिया जाना, अनावेदक नम्बर 1 व 2 के पूर्वजों द्वारा कब्जा दे दिया जाना, अनावेदक नम्बर 1 व 2 के पूर्वजों द्वारा खड़े होकर व मजदूरी करके बाउण्ड्रीवाल बनाना तथा आवेदक के पूर्वजों द्वारा समस्त भूखण्ड को उपयोग उपभोग किए जाने के तथ्य पूर्णरूप से बनावटी दर्ज किए गए हैं जिसमें सत्यता लेशमात्र भी नहीं है। यह तथ्य भी गलत दर्ज किया है कि प्रश्नगत भूखण्ड पर कब्जा आवेदक व उसके पूर्वजों का रहा है। यह सही हो सकता है कि आवेदक व आवेदक के पूर्वज हमेशा से व्यापार के सिलसिले में कलकत्ता रहते हैं।

सही तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न नक्शे में ए, बी, सी, डी, ई बिन्दुओं से दर्शित सम्पूर्ण भू-भाग उत्तरदाता/अनावेदक नम्बर 1 व 2 का है जो कि उक्त भूमि अनावेदक नम्बर 1 व 2 के पूर्वजों से उत्तरदाता/अनावेदक नम्बर 1 व 2 को प्राप्त हुई थी। उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि अनावेदक नम्बर 1 व 2 के पूर्वजों की थी जो आबादी क्षेत्र में नजदीक होने से आबादी में दर्ज हो गई तथा कुछ रकबा कृषि भूमि के रूप में खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.06 हैक्टर दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त सम्पूर्ण भूमि पर अनावेदक नम्बर 1 व 2 के पूर्वजों ने ही बाउण्ड्रीवाल बनाई तथा वहीं हमेशा से उपयोग उपभोग करते रहे तथा वर्तमान में अनावेदक नम्बर 1 व 2 उपयोग उपभोग करते थे तथा हक अधिकारी

थे। अब अनावेदक नम्बर 1 व 2 को रूपयो की सरख आवश्यकता होने पर प्रतिफल तय कर उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि को अनावेदक नम्बर 3 को विक्रय कर दिया। चूंकि खसरा नम्बर 1362 की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड बना हुआ है। इसलिये विक्रय-पत्र रजिस्टर्ड करवाने में कोई बाधा नहीं था इसलिये विक्रय-पत्र दिनांक 01.02.2021 को तस्दीक करवा दिया। शेष भूमि का विक्रय-पत्र बाद में तरदीक करवा दिया जाएगा। आवेदक अथवा उसके पूर्वजो का वादग्रस्त सम्पति से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। आवेदक अथवा अनावेदक नम्बर 4 लगायत 23 अथवा उनके पूर्वजो का प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न नक्शा में वर्णित भूमि पर ना तो कभी कोई कब्जा रहा है तथा ना ही उपयोग उपभोग किया है तथा ना ही हक अधिकार रहा है।

आज से 13-14 साल पहले अनावेदक नम्बर 1 व 2 द्वारा प्रश्नगत भूमि खातेदारी में दर्ज होने का एलान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उक्त भूमि हमेशा से अनावेदक नम्बर 1 व 2 की खातेदारी की थी। दिनांक 18.11.2007 को तत्कालिन सरपंच, पूर्व सरपंच, पूर्व प्रधान व गांव के मौजिज व्यक्तियों की मिटिंग बुलाई जाना, उसमें अनावेदक नम्बर 1 व 2 का मौजूद होना, अनावेदक नम्बर 1 व 2 द्वारा गलती स्वीकार करना, उक्त भूमि विक्रय की हुई होना, 55-56 वर्ष पूर्व वादी के पूर्वजो द्वारा भूखण्ड के चारो तरफ निर्माण करना आदि तथ्य झुठ व कतई बनावटी दर्ज किए है। अनावेदक नम्बर 1 व 2/उत्तरदाता द्वारा कोई लिखापढी उक्त बाबत नहीं की गई। ना ही उक्त प्रकार की लिखापढी पर उत्तरदाता/अनावेदक नम्बर 1 व 2 द्वारा हस्ताक्षर किए गए है। यदि उक्त प्रकार की कोई लिखावट है तो वह फर्जी व कुटरचित है। अनावेदक नम्बर 1 व 2 का प्रश्नगत भूमि पर कोई हक अधिकार नहीं होने, विक्रय की गई होने व आवेदकगण की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई माने के तथ्य झुठे दर्ज किए है। उत्तरदातागण ने कोई अभिस्वीकृति नहीं दी है। आवेदकगण ने वादग्रस्त सम्पति को कभी उपयोग उपभोग नहीं किया। वादी द्वारा उक्त वाद घोषणार्थ भूमि खसरा नम्बर 1362 का खातेदार घोषित किए जाने का निराधार पेश किया है जो खारीज होने योग्य है।

यह तथ्य अस्वीकार है कि अनावेदक नम्बर 1 व 2 ने बदनियती से खसरा नम्बर 1362 की भूमि का विक्रय-पत्र अनावेदक नम्बर 3 के पक्ष में तस्दीक करवा दिया है। बल्कि विक्रय-पत्र दिनांक 01.02.2021 विधि सम्मत रूप से तस्दीक करवाया गया है। जो कि उक्त विक्रय-पत्र वैध है जो वैध अधिकारो के अधीन तस्दीक करवाया गया है। उक्त विक्रय-पत्र दिनांक 01.02.2021 को एबिनिशियोबोर्ड करार दिए जाने का कोई कारण नहीं हो सकता है। आवेदक द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र बिना किसी आधार के मात्र बनावटी तथ्य दर्ज करते हुए पेश किया गया है जो खारीज होने योग्य है।

आवेदक द्वारा अनावेदक नम्बर 1 व 2 के पूर्वजो से संवत् 2004 में यानि आज से 73-74 साल पूर्व 600 वर्गमीटर भूखण्ड क्रय किया जाने का तथ्य बिलकुल गलत होने से अस्वीकार है। जब अनावेदक नम्बर 1 व 2 के पूर्वजो द्वारा आवेदक को कोई भूखण्ड विक्रय ही नहीं किया गया तो अनुसूचित जाति की भूमि को श्रवण जाति का व्यक्ति नहीं खरीद सकने का कानून लागू होने या नही होने का कोई ईश्यू नहीं रह जाता। यदि संवत् 2004 में खरीद लिया था, राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज क्यों नहीं हुआ ? यदि आवेदक द्वारा खरीदा हुआ होता और कब्जा काश्त होता तो आवेदक के नाम गिरदावरी भी बनती। संवत् 2004 में भूमि क्रय किए जाने का तथ्य बिलकुल सफेद झूठ है। आवेदक व अनावेदक नम्बर 4 लगायत 23 का वादग्रस्त भूखण्ड से कोई नाता नहीं है, ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य आवेदक अथवा उनके पूर्वजो का इस बाबत पेश किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है।

अनावेदक नम्बर 3 का भू-माफिया होने का तथ्ये ईष्यावंश दर्ज किया है। अनावेदकगण का ग्राम खिरोड का निवासी होना स्वीकार है। आवेदक व अनावेदक नम्बर 4 लगायत 23 कलकता रहने समाज सेवी व भामाशाह होने गांव के अन्दर जनहितार्थ निर्माण कार्य करवाने आदि तथ्य अपने आप द्वारा स्वयं की बढा चढाकार बाले लिखी गई है जिनका उत्तरदाता द्वारा उतर दिया जाना उचित नही है ना ही उक्त तथ्य प्रार्थना पत्र में चाही गई सिद्धियों से सम्पोषक है। अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 उत्तरदातागण को षडयंत्र रचकर बाउण्ड्रीवाल को तोड़ने की कोई आवश्यकता नही है बल्कि वादग्रस्त भूमि उत्तरदाता की है जिस पर उत्तरदाता अनावेदक नम्बर 3 काबिज है। उक्त भूमि में उत्तरदातागण अनावेदक नम्बर 3 द्वारा भराव करवा लिया गया है तथा मकान बनाकर आबाद है। पानी व विधुत का कनेक्शन स्थापित करवा रखा है उत्तरदातागण कोई गंदी हरकत नही करने वाले है बल्कि आवेदक के मन में बेईमानी व लालच अधिक हो गया है कि आवेदक उत्तरदातागण की सम्पति को गांव खिरोड भू-माफिया व्यक्तियों से मिलकर हड़पने के लिए कुप्रयास कर रहा है। आवेदक का वादग्रस्त सम्पति के संबंध में कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है। ना ही कोई सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है तथा नही आवेदक को किसी प्रकार को कोई क्षति होने की सम्भावना है उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये आवेदक किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा उत्तरदातागण के विरुद्ध जारी करवाने का अधिकारी नही है।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभय पक्ष के अधिवक्तागण ने प्रार्थना पत्र व जवाब में दर्ज तथ्यों की पुनरावृत्ति की गई। अधिवक्ता आवेदक ने दौराने सूची दस्तावेजात के साथ 6 दस्तावेजात प्रस्तुत किये जिन्हे शामिल मिसल किया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र द्वारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :-

- प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :- दोनों बिन्दुओं का एक साथ विवेचन किया जा रहा है :-

यह है कि आवेदक अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 3 को दौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम खिरोड़ की तन में स्थित प्रश्नगत भूखण्ड खसरा नम्बर 1362 आवेदक के भूखण्ड व नक्शे में ए,बी,सी,डी,ई बिन्दुओं से दिखाया गया है, जिसके चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल है और जिसमें प्रश्नगत भूखण्ड एच, जी, एफ, बी भी बाउण्ड्रीवाल के अन्दर शामिल है, के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं पैदा करें, न ही अपने आदमियों से करवाये। आवेदकगण उक्त भूखण्ड शांति से उपयोग उपभोग करने दे, मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की सिद्धि डिमाण्ड की गई है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात वाके ग्राम खिरोड़ स्थित खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.0600 हैक्टर का अवलोकन किया जाये तो उक्त विवादग्रस्त भूमि की वर्तमान खातेदारी श्रीचन्द पुत्र जवाहर लाल हिस्सा पूर्ण जाति मेघवंशी साकिन दहे खातेदार को नाम से दर्ज रिकार्ड है।

यहां उल्लेखनीय है कि अनावेदक नम्बर 1 व 2 ने खसरा नम्बर 1362 की भूमि का विक्रय-पत्र अनावेदक नम्बर 3 के पक्ष में दिनांक 01.02.2021 विधि सम्मत रूप से तस्दीक करवाया गया है, जो कि विक्रय-पत्र वैध है तथा वैध अधिकारो के अधीन तस्दीक करवाया गया है। वादग्रस्त भूमि से आवेदक व अनावेदक नम्बर 4 लगायत 23 का से कोई नाता प्रतीत नहीं होता है तथा ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य आवेदक अथवा उनके पूर्वजो का इस बाबत पेश किया गया है, जो निरस्त होने योग्य हो। विवादग्रस्त भूमि की मौका कमीशनर रिपोर्ट में भी तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा स्पष्ट किया है कि उक्त विवादग्रस्त भूखण्ड की खातेदारी श्रीचन्द पुत्र श्री जवाहर जाति मेघवंशी के नाम दर्ज रिकार्ड है जिस पर खसरा नम्बर 1362 के आस पास खसरा नम्बर 1332 रकबा 12.33 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन आबादी स्थित है व खसरा नम्बर 1362 व 1332 दोनो के चारो तरफ पुराना बाउण्ड्रीवाल बना हुआ है। चूंकि खसरा नम्बर 1362 की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड बना हुआ है। इसलिये विक्रय-पत्र रजिस्टर्ड करवाने में कोई बाधा नहीं था इसलिये विक्रय-पत्र दिनांक 01.02.2021 को तस्दीक करवाया गया है। आवेदक अथवा उसके पूर्वजो का वादग्रस्त सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। आवेदक अथवा अनावेदक नम्बर 4 लगायत 23 अथवा उनके पूर्वजो का प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न नक्शा में वर्णित भूमि पर ना तो कभी कोई कब्जा रहा है तथा ना ही उपयोग उपभोग किया है तथा ना ही हक अधिकार रहा है। आवेदक द्वारा प्रार्थना-पत्र के संबन्ध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के मात्र बनावटी तथ्य दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। फलस्वरूप वर्तमान रिकार्ड में श्रीचन्द पुत्र जवाहर के नाम से दर्ज रिकार्ड है। इसलिए आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला होना प्रमाणित नहीं होता है। यद्यपि अनावेदकगण को पाबंद किया जाता है तो आवेदकगण की तुलना में अनावेदकगण को नुकसान होगा। फलस्वरूप आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन बनना नहीं पाया जाता है।

अपूरणीय क्षति :- चूंकि आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु बनना नहीं पाये गये है इसलिये आवेदक को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति घटित होना प्रतीत नहीं होती है। यदि अनावेदकगण को पाबन्द किया गया तो अनावेदकगण को अपूरणीय क्षति होगी।

—: आदेश :-

उपरोक्त विवेचना अनुसार आवेदकगण का प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दपतर हो। निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए. सिंह (सहायक कलक्टर) के ?
सहायक कलक्टर (फौसल-ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू